

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5
लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के निम्नलिखित नव प्रोन्नत सहायक अभियन्तागण (सिविल) को अधोलिखित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित विकास प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -

क्र०स०	अभियन्तागण का नाम सर्वश्री-	वर्तमान तैनाती का प्राधिकरण	नवीन तैनाती का प्राधिकरण
1	अतुल शर्मा	लखनऊ	लखनऊ
2	अविनाश अग्रवाल	अयोध्या	झांसी
3	राजेश कुमार अग्रवाल	प्रयागराज	रायबरेली
4	पवन गुप्ता	गाजियाबाद	गाजियाबाद
5	अनूप कुमार श्रीवास्तव	गाजियाबाद	लखनऊ
6	सुधीर कुमार पाण्डेय	गाजियाबाद	गाजियाबाद
7	अम्बरीश कुमार शर्मा	वाराणसी	हापुड़ -पिलखुवा
8	आसिफ हुसैन	गाजियाबाद	बागपत-बडौत-खेकड़ा
9	सतीश कुमार यादव	लखनऊ	बादा
10	अजय कुमार जैन	वाराणसी	मुजफ्फरनगर
11	सोमदत्त पालीवाल	मथुरा-वृन्दावन	आगरा
12	छविनाथ पाण्डेय	अयोध्या	अयोध्या
13	वंश बहादुर यादव	अयोध्या	उन्नाव-शुक्लागंज
14	शमीम अख्तर	सहारनपुर	सहारनपुर

2- उक्त नव प्रोन्नत अभियन्तागण को निर्देशित किया जाता है कि वह नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Signed by

Nitin Ramesh Gokhale (डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण)

Date: 16-07-2024 21:47:34 (अध्यक्ष सचिव)

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- उपाध्यक्ष, लखनऊ/अयोध्या/प्रयागराज/गाजियाबाद/वाराणसी/मथुरा-वृन्दावन/ सहारनपुर विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि आपके प्राधिकरण से अन्य प्राधिकरण में तैनात किये

गये अभियन्तागण को नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- उपाध्यक्ष, लखनऊ/झांसी/रायबरेली/गाजियाबाद/हापुड़-पिलखुवा/बागपत-बडौत-खेकड़ा/बांदा/मुजफ्फरनगर/आगरा/उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरित अभियन्तागण को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार प्रमाणक तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- सम्बन्धित अभियन्तागण द्वारा उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण।

4- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-9

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।